

.....उपायुक्त..... सह-जिला दण्डाधिकारी, बोकारो का न्यायालय, बोकारो
अनुसूची - 14 - फारम संख्या - 562

United Bank of India
Chas
M/s

आदेश-पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

M/s Abhay Enterprises

आदेश पत्रक ता० 12/03/2020 से तक Prof. Abhay Kumar
जिला BOKARO संख्या 82/2019-20 सन् 2020
केस का प्रकार SARFAESI CASE

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
12/03/2020	प्राधिकृत पदाधिकारी, United Bank of India, Chas Bazar Branch, Bokaro के द्वारा धारा-14 (1 and 2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 के अन्तर्गत विपक्षी M/s Abhay Enterprises, Proprietor श्री अभय कुमार सिंह सा०-शांति नगर, जोधाडीह मोड़, चास, बोकारो एवं अन्य के विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गए निम्नांकित सम्पत्ति/भूमि पर दखल कब्जा प्राप्त करने के क्रम में विधि व्यावस्था संधारणार्थ दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया गया है। —: सम्पत्ति/भूमि का विवरण :— Equitable Mortgage of land and building in the name of Sri Kamta Frasad S/o Late Ramnandan Singh bearing Deed No. 814 dated 14.12.1993 bearing Khata No. 125, Plot No. 221 at Bhawanipur Mouza, PS. Chas covering land 6.00 Dec. and Structure thereon situated at Bhawanipur, Chas, Bokaro. अभिलेख पीठासीन पदाधिकारी के आदेशार्थ उनके समक्ष न्यायालय में रखें। प्रभारी पदाधिकारी अभय पक्ष की सूचना किशोर को। Put up on 04/09/2020 प्रथम पक्ष (बैंक) की ओर से मुख्य प्रवेपक की शजिरी है। द्वितीय पक्ष की ओर से श्री शजिरी दी गयी है। पीठासीन पक्ष ३ अन्य कार्य के ज्ञात हैं To 25/09/2020	04/09/2020 25/09/2020 03/11/2020 18/12/20

04/08/2020

04/09/2020

97/09/20
05/08/2020 Notice

1

2

3

25/09/2020
03/11/2020

प्रथम पक्ष (बैंक) अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष
की ओर से अजिरी की गई है।
जीलानी चढाव अन्त कार्र में रखा है।
To 03/11/2020

03/11/2020

प्रथम पक्ष (बैंक) अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष
की ओर से अजिरी है।
जीलानी चढाव - चुनाव कार्र में रखा है।
To 18/11/2020

18/11/2020

प्रथम पक्ष (बैंक) अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष
की अजिरी है।
द्वितीय पक्ष के case diary के अवलोकन
में ज्ञात हुआ कि उस बाद में पूर्व में ही
दिनांक - 29/10/2018 को आदेश पारित किया
जा चुका है। जिसका सम्बन्धी बाद से 22/2018-19
है। ऐसे में फौ: उस बाद में आदेश पारित किया
जाना उचित नहीं होगा।

वर्तित परीक्षा में उस बाद की कम्प्लीट
समाप्त की जाती है।
लेखापत्र एवं संग्रहोपकरण

उपायुक्त - सह-जिला दण्डा
लोकारो।

उपायुक्त - सह-जिला दण्डा
लोकारो।